

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

॥ अधि सू च ना ॥

संख्या—सं0का01/वि0मं0(पीठासीन पद0)4024/2006—928/ दिनांक 23 सितम्बर, 2006

बिहार विधान मण्डल के पदाधिकारियों के (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0—17, 2006) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा:—

॥ नि य मा व ली ॥

1. (1) यह नियमावली बिहार विधान—मण्डल के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।
(2) यह नियमावली पहली अक्टूबर, 2006 से प्रभावी होगी।
2. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो;
(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार विधान मण्डल (पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006।
(ख) “अग्रिम” से अभिप्रेत है विधान मण्डल के पदाधिकारियों को निजी गाड़ी खरीदने के लिए दी जानेवाली अग्रिम की राशि।
(ग) “परिवार” से अभिप्रेत है विधान मण्डल के पदाधिकारी के पत्नी/पति, आश्रित पुत्र/पुत्री अथवा ऐसे माता/पिता जो पूर्णतः सदस्य पर आश्रित हों।
(घ) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है बिहार विधान सभा के अध्यक्ष।
(ङ.) “उपाध्यक्ष” से अभिप्रेत है बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष।
(च) “सभापति” से अभिप्रेत है बिहार विधान परिषद् के सभापति/कार्यकारी सभापति।
(छ) “उप—सभापति” से अभिप्रेत है बिहार विधान परिषद् के उप—सभापति।
(ज) “संयुक्त समिति” से अभिप्रेत है ऐसी समिति जो विधान सभा एवं विधान परिषद् के द्वारा दोनों के सदस्यों को शामिल कर गठित की गयी हो।
(झ) “संयुक्त बैठक” से अभिप्रेत है विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों का संयुक्त बैठक।
(ञ) “सभा की बैठक” से अभिप्रेत है बिहार विधान सभा की बैठक अथवा बिहार विधान सभा द्वारा नियुक्त एवं विधान सभा के सदस्यों को मिलाकर गठित समिति की बैठक।
(ट) “परिषद् की बैठक” से अभिप्रेत है बिहार विधान परिषद् की बैठक अथवा बिहार विधान परिषद् के द्वारा परिषद् के सदस्यों को मिलाकर गठित समिति की बैठक।

- (ठ) “सरकार” से अभिप्रेत है, बिहार सरकार।
- (ड) “भत्ते” से अभिप्रेत है, क्षेत्रीय भत्ता, आतिथ्य भत्ता, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता।
- (ढ) “यात्रा भत्ता” से अभिप्रेत है, ऐसा भत्ता जो रेल/बस/सड़क मार्ग/जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए अनुमान्य हो।
- (ण) “सुविधायें” से अभिप्रेत है, आवास, वाहन, दूरभाष, चिकित्सा, उपस्कर, कार अग्रिम, रेलवे कूपन एवं निजी कर्मियों की सुविधा।

3. विधान मंडल के पदाधिकारी को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें। –

- (क) अध्यक्ष/सभापति सरकार के मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।
- (ख) उपाध्यक्ष/उप सभापति सरकार के राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण :- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सभापति/उप सभापति को यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय के द्वारा वेतन, भत्ते का भुगतान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।

- 4.** राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों को व्याख्या (इंटरप्रेट) करने तथा समय-समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

5. निरसन एवं व्यावृत्ति। –

- (i) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायगी :-
 - (1) बिहार विधान मण्डल पीठासीन पदाधिकारी (भत्ते) नियमावली, –1954.
 - (2) अध्यक्ष एवं सभापति के लिए मोटर कार अग्रिम नियमावली, 1953.
 - (3) बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के उप-सभापति भत्ता नियमावली, 1958.
 - (4) उपाध्यक्ष एवं उप सभापति कार अग्रिम नियमावली, 1958.
- (ii) इस नियमावली के होते हुए भी पूर्व नियमावलियों के प्रावधानों के अधीन की गयी यात्राओं पर इस नियमावली का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भोगेन्द्र झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं०-सं०का०१/वि०मं०(पीठासीन पदा०)४०२४/२००६-९२८/दिनांक २३ सितम्बर, २००६
प्रतिलिपि- महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय/महामहिम राज्यपाल के प्रधान

सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं०—सं०का०१/वि०मं०(पीठासीन पदा०)४०२४/२००६—९२८/दिनांक २३ सितम्बर, २००६
प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

१. अधिसूचना की १०००(हजार) मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के उप सचिव।

अनुसूची – 1

विधान मंडल पदाधिकारियों के निजी कर्मचारियों की सुविधा
निम्न प्रकार से अनुमान्य होगी :-

क्र० सं०	महानुभाव	आप्त सचिव	सहायक आप्त सचिव	निजी सहायक	निम्नवर्गीय लिपिक	आदेशपाल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अध्यक्ष / सभापति	01 (राजपत्रित पदा०)	02 (1 राजपत्रित, 1 बाह्य व्यक्ति)	02 (सरकारी / बाह्य व्यक्ति)	01 (सरकारी)	04 (बाह्य व्यक्ति)
2.	उपाध्यक्ष / उप सभापति	01 (राजपत्रित पदा०)	01 (बाह्य व्यक्ति)	02 (सरकारी / बाह्य व्यक्ति)	01 (सरकारी)	03 (बाह्य व्यक्ति)

नोट : -

- (i) अध्यक्ष / सभापति / उपाध्यक्ष / उप सभापति के आप्त सचिव राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी होंगे।
- (ii) अध्यक्ष / सभापति के सहायक आप्त सचिव राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी होंगे।
- (iii) सरकारी कोटा के आप्त सचिव / सहायक आप्त सचिव / निजी सहायक / निम्नवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति मंत्री की अधियाचना पर बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा की जायेगी।
- (iv) बाह्य सेवा के सहायक आप्त सचिव / निजी सहायक / आदेशपाल की नियुक्ति संबंधित महानुभाव के द्वारा की जायेगी। उपरोक्त बाह्य व्यक्ति की सेवा सर्वथा अस्थायी हागी और अध्यक्ष / सभापति / उपाध्यक्ष / उप सभापति के कार्यकाल तक ही सीमित होगी। इसके पूर्व भी बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें उपरोक्त महानुभावों के द्वारा हटाया जा सकता है। उपरोक्त बाह्य व्यक्तियों को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियत वेतन एवं अनुमान्य महंगाई भत्ता अनुमान्य होगी।
- (v) निजी सहायक सरकारी नहीं मिलने की स्थिति में ही बाह्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा।